न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 71 / 2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 138
दायर दिनांक :– 08.04.2025 निर्णय दिनांक :– 06.06.2025

1. भवानीदेवी पुत्री शिवशंकर जाति ब्राहमण निवासी फलोदी तहसील व जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. श्री सुभाष विश्नोई अधिवक्ता वादी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादिनी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि वादिनी के नाम से गैर खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि ग्राम ढालेरी पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 172 रकबा 48–00 बीघा भूमि स्थित है। वर्तमान गिरदावरी सम्वत 2079–2082 संलग्न वाद पेश है। उक्त भूमि ग्राम ढालेरी के नामान्तरकरण संख्या 16 के द्वारा खसरा नम्बर 172 रकबा 75–00 बीघा शिवशंकर पुत्र जयगोपाल जाति व्यास ब्राहमण सा. नोख को गैर खातेदार भूमि आवंटन हुई। ग्राम ढालेरी के नामान्तरकरण संख्या 96 (विरासत) अनुसार शिवशंकर फौत होने पर देवकी पत्नी शिवशंकर जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार दर्ज की गयी। ग्राम ढालेरी के नामान्तरकरण संख्या 140 देवकी पत्नी शिवशंकर फौत होने पर विरासत नामान्तरकरण भवानी पुत्री शिवशंकर जाति ब्राहमण सा. देह गैर खातेदारी दर्ज की गयी। गिरदावरी चौसाला बनाते समय पटवारी हल्का ने सरासर गलत तरीके से खातेदार को गैर खतेदार दर्ज कर दिया गया जबकि वादिनी एवं उसके पूर्वजों का उक्त भूमि पर आंवटन से लेकर आज दिन तक कब्जा व काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त भूमि पर वादिनी की रहवासी ढाणी में वादी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है तथा बरसात के समय में काश्त कर प्राकृतिक पैदावर का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। इसलिये वादिनी ग्राम ढालेरी पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 172 रकबा 48–00 बीघा भूमि में गैर खातेदारी से खातेदारी की घोषणा करवाने की अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। समन बाद तामिल प्राप्त होने पर प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम ढालेरी पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 172 रकबा 48–00 बीघा भूमि

06/6/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

वादिनी के नाम से स्थित है। ग्राम ढालेरी के खसरा नम्बर 172 रकबा 48–00 बीघा भूमि नामान्तरकरण संख्या16 के अनुसार पूर्व खातेदार शिवशंकर पुत्र जयगोपाल को खातेदारी दी गई। गिरदावरी चौसाला सम्वत 2059 से 2062 में उक्त भूमि देवकी पत्नी शिवशंकर के नाम से खातेदार दर्ज रही लेकिन गिरदावरी चौसाला सम्वत 2063–2066 में देवकी पत्नी शिवकशंकर को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। देवकी पत्नी शिवशंकर के फौत होने पर वादिनी के नाम गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया जो वर्तमान में भी वादिनी के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। उक्त नामान्तरकरण तथा वर्तमान चालू गिरदावरी से प्रमाणित है। उक्त भूमि पर वर्तमान में वादिनी का कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि पर वादिनी का लगातार कब्जा काश्त व उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू–राजस्व बकाया नहीं होने से गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना उचित है इससे राज हित प्रभावित नहीं होगा। चूंकि वादिनी के वाद का प्रतिवादी की तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं होने से पत्रावली में तनकीयात कायम नहीं की गयी। वादिनी भवानीदेवी पुत्री शिवशंकर के बयान पी.डब्लू–1 कलमबंद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गई।

वकील वादिनी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम ढालेरी पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 172 रकबा 48–00 बीघा भूमि वर्तमान में वादिनी के नाम गैर खातेदारी दर्ज राजस्व अभिलेख है। वादग्रस्त भूमि पर वादिनी का कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार चला आ रहा है जो तथ्य तहसीलदार बाप के जवाब से साबित है। वादग्रस्त भूमि विरासत नामान्तरकरण संख्या 140 के जरिये वादिनी के नाम गैर खातेदारी की दर्ज की गयी। इसलिए वादिनी को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रतिवादी सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम ढालेरी पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 172 रकबा 48–00 बीघा भूमि में वादिनी का लगातार कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू–राजस्व बकाया नहीं होने से गैरखातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है।

अधिवक्ता वादिनी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया जिससे यह साबित है कि उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम ढालेरी पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 172 रकबा 48–00 बीघा भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादिनी के नाम गैर खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि वादिनी के नाम नामान्तरकरण संख्या 140 के द्वारा गैर खातेदारी में दर्ज की गयी। उक्त पूर्व खातेदार के नाम खातेदारी की दर्ज थी। गिरदावरी चौसाला सम्वत 2063–2066 तैयार करते समय वादग्रस्त खसरान् की भूमि गैर खातेदार दर्ज है जो वर्तमान में भी वादिनी के नाम से गैर खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि पर वर्तमान में वादिनी का कब्जा काश्त है इन तथ्यों को तहसीलदार बाप ने अपने जवाब मे कथन किया

सहायक कलेक्टर,
बाप (फलोदी)

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

डिगरी मुताबिक फैसलाई
(आदेश 20 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप जिला–फलोदी
बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. भवानीदेवी पुत्री शिवशंकर जाति ब्राहमण निवासी फलोदी तहसील व जिला फलोदी

वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्याः– 71 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर श्री सुभाष विश्नोई मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री दी जाती है कि वाद वादिनी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम ढालेरी पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 172 रकबा 48–00 बीघा भूमि में वादिनी को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादिनी के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो तो) राजकोष में जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का नामान्तरकरण खोल कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.06.2025 जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।